भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2193

(04.08.2022 को उत्तर के लिए)

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए), 2021

2193 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए), 2021 संबंधी रिपोर्ट का आकलन किया है और उन राज्यों में सेवा वितरण में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जो पीछे रह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग के लिए उपयोग किए गए मापदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कौन-कौन से राज्य सेवा वितरण में पीछे रह गए हैं, तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): वर्ष 2021 में, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी मूल्यांकन (नेस्डा) फ्रेमवर्क में 7 क्षेत्रों में जी टू सी (G2C) और जी टू बी (G2B) सेवाओं को शामिल किया गया। कुल 56 सेवाओं का मूल्यांकन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा 27 सेवाओं का मूल्यांकन मुख्य केंद्रीय मंत्रालयों के लिए किया गया। नेस्डा फ्रेमवर्क में सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और मुख्य केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल का मूल्यांकन पहुँच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में आसानी, और सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयता जैसे मुख्य मानदण्डों के आधार पर किया गया। सेवा पोर्टलों का 3 अतिरिक्त मानदण्डों अर्थात् एण्ड-सर्विस डिलिवरी, एकीकृत सेवा प्रदायगी और स्टेटस तथा रिक्वेस्ट ट्रैकिंग के आधार पर मूल्यांकन किया गया। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सभी संभावित अनिवार्य ई-सेवाओं का प्रतिशत 69% रहा है जो नेस्डा, 2019 के 49% से अधिक है। नागरिक संतुष्टि का प्रतिशत 74 था।

*****